	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
29-8-25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे बहस सुनी जा चुकी है। दावा फर्दबटवारा अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 41/2018

जगदीश पुरी पिता भंवरपुरी गोसाई निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ

वादी

बनाम

1. शंभुपुरी पिता भंवरपुरी गोसाई निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
2. रामेश्वरपुरी पिता भंवरपुरी गोसाई निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
3. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक ::– 29.08.2024

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा ठुकराई प0ह0 ठुकराई में वादी एवं प्रतिवादीगण की कृषि आराजीयात संयुक्त खातेदारी की राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है, जिसमें वादी हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी 1 व 2 1/3–1/3 हिस्सा निहित है। आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या	आराजी संख्या		रकबा हैक्टर
617	1609		0.0650
	1610		0.4940
	कीता–2	कुल रकबा	0.5590 हैक्टर
616	1028		0.3080
	कीता–1	कुल रकबा	0.3080 हैक्टर

उक्त खातो में वादी का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/3–1/3 निहित होकर इसी हिस्सानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है, उक्त आराजीयात संयुक्त खाते की होने व आराजी का विधिवत विभाजन नहीं होने से आए दिन आराजी सीमा व लगान को लेकर विवाद होता रहता है जिसके स्थाई समाधान हेतु वादी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 को दिनांक 10.05.2018 को तहसील में चल कर जमीन का विभाजन कराने हेतु कहा तो लेकिन प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया , जिससे यह वादपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता वादी को हुई है।

वाद कारण दिनांक 10.05.2018 को उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। प्रकरण में भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होन`से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है :–

(क) कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण मौजा ठुकराई के खाता संख्या 617 में अंकित आराजी संख्या 1609 एवं 1610 किता 2 रकबा 0.5590 हैक्टर कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सानुसार मौके पर काबिजानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति फरमाई जावें।

(ख) कि वादी क`पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी मौजा ठुकराई के खाता संख्या 616 में अंकित आराजी संख्या 1028 रकबा 0.3080 हैक्टर कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सानुसार मौके पर काबिजानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने का व खाता अलग किया जाने की डिकी फरमाई जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष सुलभ वादी हो वह प्रदान किया जावें।

उक्त वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन थी, इस विभाजन की पत्रावली को न्यायालय द्वारा आम लोक अदालत कैम्प ठुकराई में विभाजन हेतु रखाया गया, तथा प्रकरण में दोनो पक्षो को सुन कर निम्न आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये जाकर दावा प्राथमिक डिकी निम्न प्रकार से किया गया:–

अतः वाद वादी का धारा 53 आर.टी.एक्ट का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा ढुकराई की आराजी संख्या 1609, 1610 कीता–2 रकबा 0.5590 हैक्टर कृषि आराजीयात में वादी का 1/3 हक हिस्से अनुसार व मौजा ढुकराई की आराजी संख्या 1026 रकबा 0.3080 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 का विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स, अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का मौके पर कब्जेनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1000/–रूपये पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर फर्द बंटवारा रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया था।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र कमांक 1768 दिनांक 28.05.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर अधिवक्ता वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होनपा स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा ढुकराई पटवार हल्का ढुकराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– जगदीशपुरी पिता भंवरपुरी गुसाई सा0देह रहन बदस्तुर के खाते

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
1609 मे से	0.0140	0.03
1610 मे से	0.1646	5.61
कीता–2	0.1786 हैक्टर	5.64

2– शंभुपुरी पिता भंवरपुरी गुसाई सा0देह रहन बदस्तुर के खाते

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
1609 मे से	0.0140	0.03
1610 मे से	0.1646	5.62
कीता–2	0.1786 हैक्टर	5.65

3– रामेश्वरपुरी पिता भंवरपुरी गुसाई सा0देह

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
1609 मे से	0.0140	0.03
1610 मे से	0.1646	5.62
कीता–2	0.1786 हैक्टर	5.65

4– जगदीशपुरी 1/3 ,रामेश्वरपुरी 1/3, शंभुपुरी 1/3 पिता भंवरपुरी गुसाई सा0देह रहन बदस्तुर के खाते आराजी संख्या 1026 को वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमती से शामलाती रखना स्वीकार किया।

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
1609	0.0230	0.07
1026	0.3080	2.10
कीता–2	0.3310 हैक्टर	2.17

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्डअधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 41/2018

जगदीश पुरी पिता भंवरपुरी गोसाई निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ

वादी

बनाम

1. शंभुपुरी पिता भंवरपुरी गोसाई निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
2. रामेश्वरपुरी पिता भंवरपुरी गोसाई निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
3. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा .53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 29.08. 2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वादीगण का वादपत्र सिद्ध होने से स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाने का आदेश दिया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा ठुकराई पटवार हल्का ठुकराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– जगदीशपुरी पिता भंवरपुरी गुसाई सा0देह रहन बदस्तुर के खाते

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
1609 मे से	0.0140	0.03
1610 मे से	0.1646	5.61
कीता–2	0.1786 हैक्टर	5.64

2– शंभुपुरी पिता भंवरपुरी गुसाई सा0देह रहन बदस्तुर के खाते

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
1609 मे से	0.0140	0.03
1610 मे से	0.1646	5.62
कीता–2	0.1786 हैक्टर	5.65

3– रामेश्वरपुरी पिता भंवरपुरी गुसाई सा0देह

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
1609 मे से	0.0140	0.03
1610 मे से	0.1646	5.62
कीता–2	0.1786 हैक्टर	5.65

4– जगदीशपुरी 1/3 ,रामेश्वरपुरी 1/3, शंभुपुरी 1/3 पिता भंवरपुरी गुसाई सा0देह रहन बदस्तुर के खाते

आराजी संख्या 1026 को वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमती से शामलाती रखना स्वीकार किया।

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
1609	0.0230	0.07
1026	0.3080	2.10
कीता–2	0.3310 हैक्टर	2.17

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्डअधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़